



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26534 वर्ष 2026

राम प्रताप राम

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनोज यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

- राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और यदि जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि आवेदक लेखपाल है और उस पर 5000 रुपये की मांग करने का आरोप है। इसके बाद, एक जाल बिछाकर आवेदक को 5000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अधिकतम सजा सात वर्ष है। आवेदक का आपराधिक इतिहास पूरक हलफनामे के अनुच्छेद संख्या 6 में दिया गया है। आवेदक 17.6.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन मामले के तथ्यात्मक आधार पर विवाद नहीं किया।
- राज्य के विद्वान एजीए ने आवेदक के आपराधिक इतिहास की ओर इशारा किया है। पिछले आपराधिक मामलों में साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाह को धमकाने के संबंध में कोई भी सामग्री या परिस्थिति इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है। **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012)**

9 एससीसी 446 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 30 में टिप्पणी की है:-

हम यह बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कभी जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन, जिस अपराध के लिए उस पर मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

7. आवेदक के आपराधिक इतिहास के संबंध में, राज्य का यह आरोप नहीं है कि आवेदक जांच में छेड़छाड़ कर सकता है या उसे किसी अन्य प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या मुकदमे से पहले या उसके दौरान गवाहों को डरा-धमका सकता है। राज्य ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि आवेदक ने अतीत में कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया था। यदि आरोपी अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक इतिहास के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बताई गई हैं, इसलिए न्यायालय केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं समझता है।

8. यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सर्वमान्य है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** मामले में दोहराया है। माननीय एजीए ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई है जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करे।

9. राज्य के विद्वान एजीए द्वारा ऐसा कोई भी सबूत, तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या आरोपी का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र फरार मौजूदगी गवाहों को डरा सकती है या आरोपी अपनी आजादी का इस्तेमाल न्याय को बाधित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

10. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा आवेदक के न्याय से भागने, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने, बार-बार अपराध करने, गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ पैदा करने से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण विवरण या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

11. राज्य के विद्वान एजीए ने ऐसा कोई सबूत या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी/आवेदक जनहित या राज्य के व्यापक हित में जमानत का हकदार नहीं है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

13. आजमगढ़ जिले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7 के तहत मामला संख्या 05/2026 में आरोपी आवेदक राम प्रताप राम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

iv. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

7 अगस्त, 2026